

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / गुप-2 / 2019

जयपुर, दिनांक : 26.08.2019

27

आदेश

मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 1824 / 2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.08.2019 की पालना में मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. कैलाश कुमार महारानियां, प्रमुख विशेषज्ञ (चर्म रोग) को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान राजकीय कावंटिया अस्पताल, जयपुर में कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय को आई. डी. क्रमांक 2874 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 1824 / 2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.08.2019 को शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करावें।
4. अधीक्षक एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय कावंटिया अस्पताल, जयपुर
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/अजमेर
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, टोंक
7. संबंधित अधिकारी
8. कम्प्यूटर सेल
9. निजी / रक्षित पत्रावली

26/8/19
(नवल बिहारी ढलवाल)
शासन सहायक सचिव